

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर – 492002
// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017


क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित ड्रेसर ग्रेड-1 को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :-

क्र0	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5
1	श्री मानसिंग बघेल	सामु.स्वा.केन्द्र माकड़ी जिला कोण्डागांव	प्राथ.स्वा.केन्द्र अड़ेगा वि.ख. केशकाल, जिला कोण्डागांव	स्वयं के व्यय पर
2	श्रीमती सावित्री सोनी	सामु.स्वा.केन्द्र पाटन जिला दुर्ग	प्राथ.स्वा.केन्द्र मेडेसरा जिला दुर्ग	
3	पुष्पा बंजारे	सामु.स्वा.केन्द्र बागबाहरा जिला महासमुन्द	प्राथ.स्वा.केन्द्र जतरी जिला रायगढ़	
4	श्री हीरालाल बैगा	सामु.स्वा.केन्द्र मैनपाट जिला सरगुजा	प्राथ.स्वा.केन्द्र बीहारपुर जिला कोरिया	स्वयं के व्यय पर
5	कु. लक्ष्मी ठाकुर	प्राथ.स्वा.केन्द्र भुरकोनी वि. ख. पिथौरा जिला महासमुन्द	प्राथ.स्वा.केन्द्र माहुद.बी. जिला बालोद	स्वयं के व्यय पर
6	श्री बालाराम चौहान	सामु.स्वा.केन्द्र विजयनगर जिला रायगढ़	सामु.स्वा.केन्द्र देवरघटा वि.ख. डभरा जिला जांजगीर	स्वयं के व्यय पर
7	यामिनी	प्राथ.स्वा.केन्द्र मुनगासेर जिला महासमुंद	प्राथ.स्वा.केन्द्र सुरगी जिला राजनांदगांव	स्वयं के व्यय पर
8	श्री सुकालू राम जूरी	प्राथ.स्वा.केन्द्र कुडेनार वि. ख. कोयलीबेड़ा जिला कांकेर	प्राथ.स्वा.केन्द्र दमकसा जिला कांकेर	स्वयं के व्यय पर
9	श्री रमेश कुमार अलेन्द्र	प्राथ.स्वा.केन्द्र आसरा जिला राजनांदगांव	प्राथ.स्वा.केन्द्र कुडेनार वि.ख. कोयलीबेड़ा जिला कांकेर	स्वयं के व्यय पर
10	श्रीमती उत्तरी साहू	सामु.स्वा.केन्द्र कुम्हारी जिला दुर्ग	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जिला अधिकारी गरियाबंद के अधीन रिक्त स्वास्थ्य संस्था पर	प्रशासनिक
11	श्री शांत कुमार सिदार	सामु.स्वा.केन्द्र घरघोड़ा जिला रायगढ़	प्राथ.स्वा.केन्द्र कुरदा जिला जांजगीर-चांपा	स्वयं के व्यय पर
12	श्री लालकुमार जंधेल	प्राथ.स्वा.केन्द्र सलडीह वि. ख. पिथौरा जिला महासमुन्द	प्राथ.स्वा.केन्द्र रक्से वि.ख. सहसपुर लोहारा जिला कवर्धा	स्वयं के व्यय पर

UT/10/17

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।
- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल. ताम्रकार)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0कमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर ।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, ।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर ।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर । कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।
12. संबंधित कर्मचारीकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
13. स्टॉक फाईल ।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग